क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour& Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेसविज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक: 01/07/2024

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के **क्षेत्रीय निदेशक, श्री संजय कुमार द्वारा कर्मचारी नेता श्री सी.पी. सिंह** की उपस्थिति में मेसर्स बिहार होटल लिमिटेड (होटल मौर्या,पटना) में सादे समारोह में मेसर्स बिहार होटल लिमिटेड, पटना में कार्यरत श्री कैलाश मंडल की मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमति मीना देवी एवं पुत्र अहित कुमार, उमाशंकर कुमार मंडल व अभिषेक कुमार को आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी । इस मौके पर क.रा.बी.निगम के **राज्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.बिजय कुमार केशरी** एवं होटल मौर्या के **श्री बी.डी.सिंह (निदेशक, होटल मौर्या), श्री राजिव कुमार (CFO) एवं श्री उपेश कुमार (HRM) उपस्थित रहे।**

स्व. कैलाश मंडल की मृत्यु कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी| वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आश्रितों के लिए मासिक पेंशन स्वीकृत किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु कार्य के दौरान दुर्घटना में हुई थी।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान या कार्यस्थल जाने या वहां से घर जाने के दौरान किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना या दुर्घटना में ई०एस०आई०सी० में बीमित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ई०एस०आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है|

क्षेत्रीय निदेशक